

भारत के उप-राष्ट्रपति का सचिवालय
SECRETARIAT OF THE VICE- PRESIDENT OF INDIA
नई दिल्ली -110011 (भारत)
NEW DELHI - 110011 (INDIA)
TEL.: 011-23016344

फाइल संख्या वीपीएस-55/1-आरटीआई/97/2023-2024

20 मार्च, 2024

सेवा में,

श्री नरोत्तम सिंह पुत्र श्री शिवलाल
निवासी-कमालपुर, तहसील-वजीरपुर,
थाना-सदर, गंगापुरसिटी-322204

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

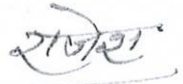
उक्त विषय में कृपया आपने दिनांक 07.03.2024 का पत्र इस सचिवालय 14.03.2024 में प्राप्त हुआ है, जिसके दस रुपए का पो. ऑ. सं. 61F 986513 संलग्न कर अपने सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005, के अंतर्गत आपने अपने आवेदन की जानकारी हेतु निवेदन किया है।

इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है किया जाता है कि आपका दिनांक -- का आवेदन दिनांक 15.02.2024 को इस सचिवालय में प्राप्त हुआ। जो कि इस सचिवालय से संबन्धित नहीं था, तत्पश्चात आप के आवेदन को दिनांक 01.03.2024 को श्रीयुत पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक कार्यालय गंगापुर सिटी को अग्रेषित कर दिया गया था (प्रति संलग्न) तथा उसकी एक प्रति आपको भी इस आशय के साथ प्रेषित कि गई थी कि भविष्य में आप श्रीयुत पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक कार्यालय गंगापुर सिटी, राजस्थान-313001 के कार्यालय से संपर्क करें।

अतः आपको परामर्श है कि आप इस विषय में सीधे संबन्धित राज्य/मंत्रालय/विभाग से संपर्क करें।

SPEED POST

20/03/2024


(राजेश कुमार शर्मा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
rticell-vps@nic.in

राजेश कुमार शर्मा
RAJESH KUMAR SHARMA
उप सचिव
DEPUTY SECRETARY



उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT SECRETARIAT
नई दिल्ली / NEW DELHI-110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX : 23018124

फाइल संख्या उ. रा. स./18/01/2023(ह)-प्रशासन

01 मार्च, 2024

श्रीयुत पुलिस अधीक्षक
पुलिस अधीक्षक कार्यालय गंगापुर सिटी
जिला - गंगापुर सिटी,
राजस्थान-313001

प्रिय महोदय,

माननीय उप-राष्ट्रपति जी को संबोधित श्री नरोत्तम सिंह पुत्र श्री शिवलाल, कमालपुर, तहसील-वजीरपुर, थाना-सदर, गंगापुर सिटी-322204 का दिनांक -- का पत्र इस सचिवालय में दिनांक 15.02.2024 को प्राप्त हुआ है।

अतः इनका मूल पत्र पूर्ण विवरण सहित प्रचलित नियमानुसार आपके अध्ययन एवं ध्यानाकर्षण/उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है। आप से अनुरोध है कि उक्त पत्र पर की गई कार्रवाई से आवेदक तथा इस सचिवालय को भी अवगत करने कि कृपा करें।

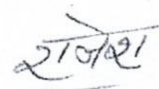
धन्यवाद

भवदीय,

ह/-

(राजेश कुमार शर्मा)

✓ **प्रति सूचनार्थ :-** श्री नरोत्तम सिंह पुत्र श्री शिवलाल, कमालपुर, तहसील-वजीरपुर, थाना-सदर, गंगापुर सिटी-322204 कृपया आपसे निवेदन है कि आप भविष्य में पत्र के संदर्भ में की गई कार्रवाई हेतु उपर्युक्त अधिकारी के कार्यालय से संपर्क करें।


(राजेश कुमार शर्मा)



सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 6(1) के तहत आवेदन पत्र

आदरणीय लोक/जन सूचना अधिकारी:- मधेस, उषा रावूपाति
भवन / कापिलपुर, भारत सरकार
नई दिल्ली

आवेदक का नाम एवं पूर्ण यता:- नरोत्तम सिंह पुत्र शिवलाल जाति खारवाल
 निवासी गाँव कमालपुर पोस्ट बाडा सावंटा वाया एवं पोस्ट ऑफिस शहर
 जिला गंगपुर सिटी 322204 मो0 6377461722

सूचना का विषय:- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर प्रतिदिन की
 स्थिति की सूचना चाहने बावत।

संलग्न साक्ष्य:- प्रार्थना पत्र मय रसीद दिनांक सहित एक प्रति इस आवेदन के
 साथ संलग्न की जा रही है साक्ष्य वास्ते।

“कृपया इसके संदर्भ में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध करवाएं”

1. प्रार्थी द्वारा आपके कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसका शीर्षक था- प्रार्थी की पत्नी श्रीमती रमेशी देवी की हत्या/मर्डर की **FIR No. 201/2023** पुलिस थाना सदर गंगपुर सिटी धारा 302 की **SOG, SIT, CB, CID** से अविलम्ब निष्पक्ष जाँच करवाने बावत न्याय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था इस आवेदन पर क्या निराकरण हुआ आज दिनांक तक।
2. क्या वेहद गरीब प्रार्थी को **SOG, SIT, CB, CID** से जाँच करवाने के अधिकार नहीं है।
3. प्रार्थी की पत्नी की हत्या/मर्डर हुआ था इस पर दर्ज **FIR No. 201/2023** पुलिस थाना सदर गंगपुर सिटी धारा 302 की जाँच **SOG, SIT, CB, CID** से जाँच करवाने के लिए क्या करना होगा।
4. मेरे आवेदन पर की गई प्रतिदिन की कार्रवाई अर्थात दैनिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराये। मेरा आवेदन किन-किन अधिकारियों के पास गया तथा किस अधिकारी के पास कितने दिनों तक रहा और इस दौरान उन अधिकारियों ने उस पर क्या कार्रवाई की ? पूरा विवरण उपलब्ध कराएँ।
5. विभाग के नियम अनुसार मेरे आवेदन पत्र अधिकतम कितने दिनों में कार्यवाही पूरी हो जानी चाहिये थी ? क्या मेरे मामले में उपरोक्त समय सीमा का पालन किया गया है ?
6. **FIR No. 201/2023** पुलिस थाना सदर गंगपुर सिटी धारा 302 के विषय पर प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक कितने प्रार्थना पत्र/शिकायत आपके

निरन्तर.....

Handwritten signature
 14/03/2024

Handwritten signature
 80(9)

(2)

कार्यालय में प्रस्तुत किये गये हैं एवं उन पर क्या-क्या निराकरण हुआ क्रमवार सूचना दे।

7. प्रार्थी द्वारा जो शिकायत/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसकी एवं इस प्रार्थना पत्र पर जो भी जॉच आदेश हुये हैं उनकी एवं जॉच रिपोर्ट के लिए बनाये गये प्रश्नों की तथा मृतक के मोबाईल फोन की कॉल डिटेल् की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाए।

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पॉच दिनों के समयावधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें। साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताएँ।

दिनांक:- 7/3/24
स्थान:- कमालपुर

नरैन्द्रभासिंह
आवेदक

भारतीय पोस्ट ऑर्डर नं. 61 F9865/3 10/- फीस

सेवामें,

आदरणीय उप राष्ट्रपति महोदय

RR5867725691N IVR:6282586772569
RL KRISHI UPJ HANDI GANGAPUR SO <32220
Counter No:1,13/02/2024,11:54
To:VICE PRESIDENT,GOI MAULA AZAD
PIN:110011, Nirman Bhawan SO
From:NAROTTAM SINGH ,KAMALPUR
Wt:20gms,REG=17.0

उप राष्ट्रपति भवन

भारत सरकार नई दिल्ली

विषय:- FIR No. 201/23 धारा 302 IPC, पुलिस थाना सदर गंगापुर
सिटी की CB, CID या SOG, SIT से अविलम्ब निष्पक्ष जाँच
करवाने बावत न्याय प्रार्थना

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी की धर्मपत्नी श्रीमती रमेशी देवी सहायिका के पद महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत थी लेकिन प्री-प्लानिंग से श्रीमती द्वारिका देवी उम्र 32 वर्ष पत्नि संजय खारवाल एवं संजय खारवाल उम्र 35 वर्ष पुत्र हरगोविन्द खारवाल निवासी कमालपुर थाना सदर गंगापुर सिटी ने एवं इनकी टीम/गैंग/ग्रुप/समूह ने ही प्रार्थी की पत्नि की बेरहमी से हत्या/मर्डर कर दिया है तथा पुलिस मिली भगत से पूरे प्रकरण को एक्सीडेंट का रूप देने का प्रयास किया जा रहा है जबकि प्रार्थी के द्वारा नियमित सभी तथ्यों से पुलिस प्रशासन को अवगत कराया जा रहा है। इसके बावजूद भी कोई न्याय नहीं मिल रहा है ना ही मुलजिमानों की गिरफ्तारी की जा रही है, आखिर क्यों? क्या हत्या करने वालों को कोई सजा नहीं मिलेगी?

अतः माननीय जी से प्रार्थना है कि FIR No. 201/23 धारा 302 IPC, पुलिस थाना सदर गंगापुर सिटी की CB, CID या SOG, SIT से अविलम्ब निष्पक्ष जाँच करवाने के कृपा पूर्ण निर्देश प्रदान करे जिससे की पुलिस सांठ-गांठ बन्द हो सके और दोषियों को सजा मिल सके।

दिनांक:- 08.02.2024

प्रार्थी नरोत्तम सिंह

नरोत्तम सिंह

नरोत्तम सिंह पुत्र शिवलाल जाति खारवाल
निवासी कमालपुर तहसील वजीरपुर थाना सदर
गंगापुरसिटी जिला गंगापुरसिटी पिन - 322204
मो. नं. 6377461722

वह बिन्दू जिन पर जाँच होना अति आवश्यक है:-

1. मृतका श्रीमति रमेशी देवी के मोबाईल नम्बर 9636430058 की कॉल

निरन्तर.....

डिटेल निकलवाई जाये दस दिन पहले तक की।

2. रमेशी देवी की हत्या वाले स्थान पर सबसे नजदीक कितने मोबाईल नम्बर चालू थे ?
3. रमेशी देवी की हत्या वाले दिन व दस दिन पूर्व कितने आपराधिक रिकॉर्ड वालो से मोबाईल पर बात हुई थी ?
4. रमेशी देवी के मोबाईल फोन की कॉल डिटेल में कितनो का आपराधिक रिकॉर्ड है ?
5. श्रीमती द्वारिका देवी उम्र 32 वर्ष पत्नि संजय खारवाल एवं संजय खारवाल उम्र 35 वर्ष पुत्र हरगोविन्द खारवाल निवासी कमालपुर तहसील वजीरपुर थाना सदर गंगापुर सिटी ने ही प्रार्थी की पत्नि की हत्या की है इन दोनों के मोबाईल फोन की कॉल डिटेल निकलवाए ?
6. मृतका श्रीमती रमेशी देवी के परिवार में कौन-कौन उत्तराधिकारी/वारिस है ?
7. FIR No. 201/23 दर्ज दिनांक से आज दिनांक तक किन-किन बिन्दुओं पर अनुसंधान किया गया ?
8. FIR No. 201/23 पुलिस थाना सदर गंगापुर सिटी में कौन-कौन जाँच अधिकारी रहे ?
9. FIR No. 201/23 पुलिस थाना सदर गंगापुर सिटी ने किस-किस मुलजिम की गिरफ्तारी की गई है ?
10. FIR No. 201/23 पुलिस थाना सदर गंगापुर सिटी में क्या-क्या जप्त किया है ?
11. FIR No. 201/23 पुलिस थाना सदर गंगापुर सिटी क्या इस पूरे प्रकरण की जाँच CB, CID या SOG, SIT से कराना नियम विरुद्ध होगा क्या ?
12. श्रीमती रमेशी देवी के हत्यारे व हत्यारो के परिवार जन/रिश्तेदार गलत-गलत बयान देकर केस को गुमराह कर रहे है पुलिस साठ-गांठ से ?
13. दोनों मुलजिमो के मोबाईल की कॉल डिटेल निकलवाकर व इनकी टीम/गैंग/ग्रुप/समूह के सदस्यों के मोबाईल फोन की कॉल डिटेल निकलवाकर जाँच करे ?
14. रमेशी देवी की डेड बॉडी/शव कहाँ से बरामद किया ?
15. रमेशी देवी की डेड बॉडी/शव को राजकीय चिकित्सालय कोन लेकर गया एवं कितने लोग लेकर गये थे ?
16. रमेशी देवी की डेड बॉडी/शव को किस साधन/गाडी में हॉस्पिटल लेकर गये थे ?

नरेश मसिह

नरेश मसिह